राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1894/2013/~~अजमेर~~ उदयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–तृतीय, वृत–सी,उदयपुर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स एम.पी.ट्रेडर्स
उदयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित
श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांक 16.03.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 119/**वैट**/2012–13/उदयपुर में पारित आदेश दिनांक 08.05.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2009–10 मूल कर निर्धारण आदेश सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत–सी,उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23/24 के अन्तर्गत दिनांक 29.12.2011 को पारित किया जाकर रू. 14,195/– की मांग सृजित की गई थी। उक्त आदेश में संशोधन हेतु संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर संशोधन आदेश दिनांक 30.08.2012 पारित कर संशोधन प्रार्थना पत्र का अपास्त किया है। उक्त संशोधन आदेश दिनांक 30.08.2012 से असन्तुष्ट होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.12.2011 में सृजित मांग को अपास्त किया है। जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अविधिक, अन्यायिक व गलत कारणों से अपास्त किया है। उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रथम तिमाही का वैट–10 पेश नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित की गई, जो पूर्णतः विधिक होने के बावजूद अपीलीय

अधिकारी ने उसे अपास्त किया है, जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2013 को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बावजूद सूचना के अपील सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए प्रकरण के गुणागुण पर विचार करके एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अपील का निरस्तारण किया जा रहा है।

विभागीय प्रतिनिधि उप राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत की गई अपील को इस आधार पर स्वीकार किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र एवं मूल कर निर्धारण आदेश पारित करते समय प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित प्रदान किये बिना ही मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.12.2011 एवं संशोधन आदेश दिनांक 30.08.2012 पारित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर स्पष्ट है कि दिनांक 12.12.2011 के लिए को दिनांक 15.11.2011 को नोटिस जारी किया गया है, किन्तु उसकी तामीली के सम्बन्ध में कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

कर में वृद्धि करने या शास्ति आरोपण करने से पूर्व सुनवाई का नोटिस जारी कर उसे तामील कराया जाना विधिक प्रावधानों की बाध्यता है, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अधिनियम की धारा 65 एवं नियम 48 का उल्लंघन माना जावेगा। इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 65 एवं नियम 48 को उद्धरित किया जाना समीचीन है, जो निम्न प्रकार हैः–

65. Opportunity before imposition of penalty. – No penalty under this Act shall be imposed unless a reasonable opportunity of being heard is afforded to the dealer or the person concerned.

नियम 48 इस प्रकार है :–

48. Granting opportunity of hearing and recording of reasons,- Where an assessing authority or any other officer, enhances the admitted tax liability of a dealer, or imposes a penalty on him or on any other person under the provisions of the Act or the Rules, or passes any order detrimental to their interest, the said authority or officer shall record the reasons thereof, and no such order shall be passed unless the dealer or the person has been given a reasonable opportunity of being heard.

अधिनियम की धारा 65 एवं नियम 48 के पठन से स्पष्ट है कि बिना नोटिस तामील करवाये शास्ति अथवा कर आरोपित किया जाना उचित नहीं है। विद्वान

अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण एवं न्यायिक दृष्टान्तों के उद्धरण उद्धरित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुन्जाई नहीं है। फलतः विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2013 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य